

(b) The Baweja Committee has observed that ad-hocism in price fixation should be avoided since it erodes public confidence and faith.

(c) The D.D.A. has reported that it has been constantly reviewing its costing policies and trying substituting cheaper building material/techniques so as to reduce the costs. It has also set up a Committee to analyse costing data and recommend ways and means to reduce the cost of structures and to recommend new designs and techniques/technical innovations to keep costs under reasonable limits.

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियां

* 587. श्री विजय कुमार यादव :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी अनधिकृत कालोनियां हैं ;

(ख) क्या सरकार का इन कालोनियों के निवासियों को स्थाई आवास गृह प्रदान करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संख्येय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम द्वारा संकलित की गई संशोधित सूची के अनुसार दिल्ली में ऐसी 612 कालोनियां हैं और इस सूची में क्रमशः 30-6-77 और 16-2-77 तक बनाई गई रिहायशी और वाणिज्यिक संरचनाएं शामिल की गई हैं ।

(ख) सरकार ने निर्देश जारी किये हैं कि अनधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण करते समय, वे परिवार जो सड़कों और अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में विस्थापित किए जायेंगे, उन्हें इस शर्त पर

भूमि/प्लॉट/वास्तु देकर बसाया जाएगा कि उनके या उनके परिवार के किसी आश्रित सदस्य के पास दिल्ली में अपना कोई मकान/प्लॉट न हो ।

(ग) ऐसा, सड़कों तथा अन्य सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद किया जाएगा । इस प्रयोजन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना व्यावहार्य नहीं है ।

Deaths Due to Spurious Liquor

*588. PROF. MADHU DANDAVATE: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) in view of recurring deaths due to spurious liquor what concrete scheme is planned to prevent such tragic deaths; and

(b) what machinery is set up to implement the scheme?

THE MINISTER OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRI S. B. CHAVAN): (a) and (b). Production, manufacture, possession, transport, purchase and sales of intoxicating liquor falls within the jurisdiction of the State Governments. In view of this, measures to check the production of spurious liquor are taken by the State Governments in accordance with law. Question of formulating central scheme for this purpose does not arise.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का
प्रशासन भवन

* 589. श्री मनी राम बागड़ी :

श्री राम चिन्ता पातवान :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का प्रशासन भवन का निर्माण जो ठेके की शर्त के अनुसार वर्ष 1977 तक पूरा हो जाना चाहिए था, अभी तक अधूरा पड़ा है ;